# <u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।</u>

**जमानत आवेदन संख्या 96/2026**

मनीष कुमार उर्फ मनीष रवानी उर्फ मंगरा कमकर उर्फ मनीष चंद्रवंशी

बनाम

बिहार सरकार

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता.............. श्री हरिशंकर प्रसाद।

सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता...........श्री केदारनाथ तिवारी, लोक अभियोजक।

**दिनांक– 01.04.2026**

**मुरार थाना कांड संख्या 52/2024**

अन्तर्गत धारा–309(4) बी.एन.एस.

**<u>आदेश</u>**

1. काराधीन आवेदक/अभियुक्त मनीष कुमार उर्फ मनीष रवानी उर्फ मंगरा कमकर उर्फ मनीष चन्द्रवंशी उर्फ टुनटुन रवानी की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को सुना गया। ।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष एवं सच्चरित्र है तथा मात्र तंग, परेशान करने की नियत से उक्त मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–07.07.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का जमानत आवेदन बी0पी0 नं0–540 /2024 विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय के यहॉ से खारिज है और माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं हुआ है और संज्ञान के बाद सत्र न्यायालय के यहॉ दाखिल हो रहा है और वो कहीं लम्बित नहीं है। आवेदक का कई आपराधिक इतिहास है। अतः आवेदक द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद के सूचक अजय कुमार का कथन है कि उसका मोबाईल का दुकान संत प्रसाद के कटरा चौगाई में निशा मोबाईल के नाम से है, जहॉ वह दो लैपटॉप जिसमें एक डेल तथा दूसरा लेनेवो कम्पनी का था। दुकान के काउंटर पर रखकर के ऑनलाईन का काम तथा पैसा निकासी का काम किया करता था। उसके दुकान में 05.07.2024 को संध्या करीब 7:50 पी.एम. पर मनीष कमकर उर्फ मंगरा कमकर अपने अन्य दो साथियों के साथ आया। उस समय सूचक का चचेरा भाई सोनु कुमार दुकान में था, जिससे उनलोगों ने मोबाईल में कवर लगाने को बोला तो सोनु ने उनलोगों से कहा कि आपलोग कल आकर लगवा लिजीएगा। इतने में उनलोगों ने सोनु को गाली देते हुये कट्टा दिखाकर गोली मारने की बात कहते हुये उक्त दोनों लैपटॉप लूटकर नवाडीह गली में भाग गये।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय समझता है कि आवेदक दिनांक–07.07.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत वाद में अभि0/आवेदक मनीष कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। दिनांक–19.05.2025 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा धारा–309(4) बी.एन.एस. एवं धारा–25(1–बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिये संज्ञान लिया गया है। संज्ञान के लेने से अभियोजन के केस को बल मिलता है। धारा–309(4) भारतीय न्याय संहिता के

अपराध में 14 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। आवेदक के विरू0 गंभीर अपराध का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा–36 के अनुसार आवेदक के उपर निम्न मुकदमों में आपराधिक इतिहास हैं:–

1. मुरार थाना कांड संख्या–09/2017, धारा–461, 379, 411 भा0द0वि0
2. मुरार थाना कांड संख्या–58/2019, धारा–356, 379 भा0द0वि0
3. मुरार थाना कांड संख्या–39/2024, धारा–356, 379 भा0द0वि0
4. मुरार थाना कांड संख्या–43/2024, धारा–25(1–बी)ए, 26, 35 शस्त्र अधिनियम
5. ब्रम्हपुर थाना कांड संख्या–432/2019, धारा–394 भा0द0वि0
6. ब्रम्हपुर थाना कांड संख्या–149/2016, धारा–147, 148, 149, 341, 323, 379, 427, 386, 307 भा0द0वि0
7. कोरानसराय थाना कांड संख्या–65/2019, धारा–392 भा0द0वि0
8. डुमरॉव थाना कांड संख्या–333/2019, धारा–392 भा0द0वि0

आवेदक आदतन अपराधी है। आवेदक की अपराध में संलिप्तता के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त आवेदक/अभियुक्त मनीष कुमार का नियमित जमानत आवेदन संख्या–96/2026 खारिज किया जाता है।

(लेखापित व शुद्धित)

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बक्सर।

| | |
|---|---|
| निर्णय तिथि | 01-04-2026 |
| अपलोडिंग की तिथि | 04-04-2026 |
| अपलोड द्वारा | Rakhi Kumari |